

18-9-2025

वकुलाय फरीकेन उप।

उपनिष्ठा कादी श्री अनिल जोशी ने दर्शाया है कि विगत आदेशिका की अनुपालना में कादी सम्बंधित विभाग में उपस्थित हुआ है और समय पर है।

D.No.
332,333
24.9.2025

सम्बंधित विभाग/कार्यलय को पुनः पत्र जारी हो। वादीयका सम्बंधित विभाग में उपस्थित हुए हैं, इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यदि शरीर का निधारण किया जा चुका है तो वह राशि भी आगामी पेशी तक आवश्यक रूप से जमा करावे।

पत्रावली देखने पालना विपरीत। जमाहीने शरीर दिनांक 8/10/25 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कुचामन सिटी जिला : डोडवाला-कुचामन

8-10-2025

वकुलाय फरीकेन उप।

न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), सीकर-वृत्त से मूल निलंबित कादी स्वामी पेश हुआ, जो शामिल मिसल रहे।

साक्ष्य कादी उक्त अक्षर बाधा है जिसकी पेशी पर आवश्यक रूप से साक्ष्य पेश करें Target case है।

पत्रावली साक्ष्य कादी उक्त दिनांक 30/10/25 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कुचामन सिटी जिला : डोडवाला-कुचामन